

मांग संख्या 41
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1 से 2

आकस्मिकता निधि भृत्य एवं अंशकालीन स्वीपर के मजदूरी भुगतान हेतु ₹ 483.00 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,83,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

अशासकीय विद्यालय को सहायक अनुदान हेतु ₹ 427.09 लाख का व्यय संभावित है

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,27,09,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 से 6

आकस्मिकता निधि भृत्य एवं अंशकालीन स्वीपर के मजदूरी भुगतान हेतु ₹ 318.23 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,18,23,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को छात्र भोजन सहाय योजनांतर्गत देय राशि में वृद्धि करते हुए ₹ 700 प्रतिमाह करने हेतु ₹ 366.76 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,66,76,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 8

अशासकीय विद्यालय को सहायक अनुदान हेतु ₹ 468.57 लाख का व्यय संभावित है

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,68,57,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

अशासकीय संस्थाओं को सहायक अनुदान हेतु ₹ 974.70 लाख का व्यय संभावित है

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 9,74,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10 से 11

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत होलीक्रास महिला महाविद्यालय, अम्बिकापुर के अधोसंरचना निर्माण हेतु ₹ 200.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

₹; '₹'₹2210

मद क्रमांक 12 से 22

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय, अंबिकापुर, जिला सरगुजा के कार्यालय व्यय, मजदूरी, सफाई व्यय, सुरक्षा व्यय तथा सामग्री पूर्ति हेतु ₹ 373.59 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,73,59,700 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 23 से 24

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर में मल्टी सुपरस्पेशियलिटी चिकित्सालय PMSSY की स्थापना योजनांतर्गत करने हेतु ₹ 2100.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 21,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 25

रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर द्वारा संचालित जीवन ज्योति चलित औषाधालय के संचालन हेतु ₹ 21.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 21,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 26 से 27

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के संचालन हेतु ₹ 12247.40 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,22,47,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 28 से 31

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर, सरगुजा के कार्यालय व्यय, मजदूरी, सफाई व्यय, सुरक्षा व्यय तथा सामग्री पूर्ति हेतु ₹ 72.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 72,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 32 से 33

छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत राशि के भुगतान हेतु ₹ 380.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्यशीर्ष 2215

मद क्रमांक 34

जिला बलरामपुर के वाड्फनगर जल प्रदाय योजना को पूर्ण करने हेतु ₹ 407.96 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,07,96,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 35

जिला जशपुर के कोतबा जल प्रदाय योजना को पूर्ण करने हेतु ₹ 196.95 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,96,95,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्यशीर्ष 2217

मद क्रमांक 36 से 37

प्रदेश के नगरीय निकायों में स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत टोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ₹490.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,90,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 38 से 39

अमृत मिशन योजना अंतर्गत ₹1600.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 16,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 40 से 41

प्रदेश के नगरीय निकायों में स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत टोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ₹270.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 42 से 43

प्रदेश के नगरीय निकायों में स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत टोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ₹240.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 44 से 45

मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण हेतु ₹ 200.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 46

रामकृष्ण मिशन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नारायणपुर में नवीन पाठ्यक्रम के लिए मशीन एवं उपकरण क्रय हेतु ₹ 98.64 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 47 से 52

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत वाहन किराया हेतु ₹161.50 लाख, अन्य अनुदान हेतु ₹100.00 लाख, अन्य अनुरक्षण कार्य हेतु ₹1268.82 लाख, अन्य व्यय हेतु ₹1685.68 लाख एवं दवाईयां हेतु ₹96.90 लाख सहित कुल ₹3151.40 लाख (केन्द्रांश ₹ 1890.84 लाख + राज्यांश ₹ 1260.56 लाख) का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹31,51,40,100 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 53

शुचिता योजना के संचालन हेतु ₹152.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹1,52,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2236

मद क्रमांक 54

महतारी जतन योजना के संचालन हेतु ₹247.38 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹2,47,38,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 55 से 57

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना के संचालन हेतु ₹555.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹5,55,50,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 58

खरीफ वर्ष 2019 में धान उत्पादन पर प्रोत्साहन हेतु ₹ 35834.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,58,34,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 59

पोषण बाड़ी विकास योजना हेतु ₹380.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹3,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2403

मद क्रमांक 60

केन्द्र क्षेत्रीय योजना 20वीं पशु संगणना कार्यक्रम हेतु ₹38.34 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 61

अन्त्योदय अन्न योजना अंतर्गत चना प्रदाय हेतु ₹ 17000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,70,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 62

बस्तर संभाग अंतर्गत राशनकार्डधारियों को गुड़ वितरण हेतु ₹ 50.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 63

रियायती दर पर आयोडाईज्ड नमक वितरण हेतु सहायक अनुदान योजनांतर्गत ₹ 1900.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 19,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 64

राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत हेतु ₹ 4484.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 44,84,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 65 से 67

1. LWE योजनांतर्गत 7 नवीन आई.टी.आई. सीतापुर (जिला-सरगुजा), अंबागढ़ चौकी (जिला राजनांदगांव), नरहरपुर (जिला-कांकेर), बकावण्ड (जिला-बस्तर), नारायणपुर (जिला नारायणपुर), भैरमगढ़ (जिला-बीजापुर), एवं कोण्टा (जिला-सुकमा) तथा 4 आई.टी.आई. अम्बागढ़ चौकी, बकावण्ड, भैरमगढ़ एवं नारायणपुर में प्रारंभ किये गये अतिरिक्त व्यवसाय के लिए मशीन उपकरण क्रय हेतु ₹ 200.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,00,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

2. एल.डब्ल्यू.ई. योजनांतर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मर्दापाल एवं छिंदगढ़ के लिये एक-एक 100 सीटर छात्रावास निर्माण हेतु ₹ 115.44 लाख का व्यय संभावित है (प्रति छात्रावास लागत ₹ 288.59 लाख)। यह व्यय विभागीय बचत से क्रिया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 68 से 69

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अंबिकापुर के भवन निर्माण हेतु ₹ 3000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 70

मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण हेतु ₹ 1800.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 18,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 71 से 72

शाहीद वीरनारायण सिंह की स्मृति में रायपुर में स्मारक एवं संग्रहालय निर्माण (अनुमानित लागत ₹ 2566.00 लाख) को बजट में नवीन मद के रूप में शामिल करने हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4810

मद क्रमांक 73

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योति योजना हेतु ₹ 1453.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 14,53,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 74

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना) हेतु ₹ 257.64 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,57,64,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।